xxxGIDxxx-33002/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28082021-229296
SG-DL-E-28082021-229296

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 153
No. 249]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 153

6/C

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

सं. फा. 1/डीईजी (13)/आरआर/2019/1114.—दिनांक 24 सितम्बर, 1968 को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–II में खंड–3 के उपखंड (i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं0 फा0 11(78)/2011–एसबी/ आरआर/82 के द्वारा अधिसूचित कला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली या किए जाने के लिए हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफ़ेसर, कला महाविद्यालय की भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (6) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

निरर्हता.—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक प्रोफेसर	80 (2021)* अनुप्रयुक्त कला – 30 पेंटिंग – 17 मूर्तिकला – 7 प्रिंट मेकिंग – 10 दृश्य संचार –10 कला इतिहास –6 कुल = 80 *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'क'	स्तर – 10, प्रारंभिक वेतन 57700/-रुपये	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक	अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ललित कला की संगत विधा में प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं निष्णात उपाधि अथवा दोनों उपाधियों में से किसी एक के समकक्ष* तथा कम-से-कम दो वर्षों का संगत	लागू नहीं	एक वर्ष

व्यावसायिक अनुभव।

[illegible] आयु सीमा निर्धारण [illegible] निर्णायक तिथि संघ [illegible] सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।

टीप 1 : ललित कला की विद्यमान भर्ती (अनुप्रयुक्त कला, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, दृश्य संचार तथा कला इतिहास) प्रत्येक भर्ती के समय निर्दिष्ट की जाएगी।

टीप 2 : यदि उम्मीदवार की वर्ग/श्रेणी निर्धारित नहीं है तो कुल अंकों के कम–से–कम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली सीजीपीए को अपनाती है, तो समकक्ष अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाएगा।

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप–4: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा नोट : पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं। क. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा	लागू नहीं	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव -–	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

3/C

[illegible] कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये [illegible] निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले [illegible] प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार [illegible] किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से [illegible] पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में [illegible] प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः [illegible] वर्षो से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर [illegible] स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा [illegible] आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों [illegible] से अधिक नहीं होगी)।		सदस्य 3. निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रंजना देसवाल, निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2021

No.F.1/DEG(13)/RR/2019/ 1114.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification number S.O. 3532 published in Part-II Sub section (i) of section 3, Gazette of Delhi Extraordinary dated 24th September, 1968, and in supersession of the recruitment rules for the post of Assistant Professor, College of Art notified vide notification No. F.11(78)/2011-SB/RR/82 dated the 15th January, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Assistant Professor, College of Art under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the, Department of Training and Technical Education, Assistant Professor, College of Art Recruitment Rules, 2021.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**—Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Scanned with OKEN Scanner

SCHEDULE

...of Post.	No. of Posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection or non selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
...Professor.	80 (2021) * Applied Art - 30 Painting-17 Sculpture-7 Print Making-10 Visual Communication-10 Art History-6 Total = 80 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted Group A.	Level-10, Entry pay Rs. 57700.	Not Applicable.

...limit for Direct	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age or educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
...eeding thirty five ...axable for ...ernment Servants ... five years in ...ordance with ...structions or orders ...ued by Central ...rnment). ... The crucial date for ...mining the age-limit ... as advertised by ...nion Public Service ...mission.	**Essential:** Bachelor's and Master's Degree from a recognized University/Institution in relevant branch of Fine Art with first class or equivalent in any one of the two degrees and minimum two years' of relevant professional experience. Note 1: The exact requirement of Fine Art (Applied art, Painting, Sculpture, Print Making, Visual Communication and Art History) will be indicated at the time of each recruitment. Note 2: If a class/division is not awarded, minimum of 60 per cent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks as below :-	Not Applicable.	One Year.

Grade point	Equivalent Percentage
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75

Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Scanned with OKEN Scanner

1/C

Note 4: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

...thod of recruitment whether by direct ...uitment or by promotion or by ...tation/absorption and percentage of ...ncies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
...irect recruitment. ... Vacancies caused by the incumbent ... away on deputation or long illness or ... leave or under other circumstances for a ...ation of one year or more may be filled on ...putation basis from officers of the Central Government: (a). holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and (b). possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of Deputation including period of ...putation in another ex-cadre post held ...mediately preceding this appointment in the ... or some other organization/ department of ... Central Government shall ordinarily not to ...ed three years. The maximum age limit for ...ointment by deputation shall be not ...eding fifty six years as on the closing date ... receipt of applications).	Not Applicable.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation): 1. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman 2.Administrative Secretary of the concerned Department- Member 2. Director, Department of Training and Technical Education- Member	Consultation with UPSC Necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RANJANA DESWAL, Director (TTE)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

Scanned with OKEN Scanner